

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल जारी करने हेतु

प्रेस नोट सं: पीआरडी/प्रेस नोट/8/2018-19

12 जून 2018

भारतीय मानक ब्यूरो का हेलमेट के निर्माण की इकाई पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), दिल्ली शाखा कार्यालय-1 ने हाल ही में मैसर्स श्री आर. स्टार एंटरप्राइज़िज के किराड़ी, दिल्ली-110041 स्थित परिसर पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना आई एस 4151 : 1993 के अनुसार “आर. स्टार” तथा “राकिंग” ब्रांड नाम से सीएम/एल-8100017593 के साथ हेलमेट का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है जोकि एक दंडनीय अपराध है।

उपरोक्त छापे के दौरान, टीम ने इकाई से भारी मात्रा में हेलमेट ज़ब्त किये।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note No: PRD/Press Note/8/2018-19

12 June 2018

BIS raids Helmet Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS), Delhi Branch Office-I recently conducted an enforcement raid at the premises of M/s R. Star Enterprises Kirari, Delhi-110041. The firm was manufacturing Helmets without having valid BIS Certification licence under brand names “R. Star” and ‘Rocking” with CM/L-8100017593 as per IS 4151:1993 violating Section 17 (3) of BIS Act 2016 which is a punishable offence.

The raid team also seized substantial quantity of helmets at the unit.